ग्राम पंचायत, हलोग(धामी) विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2016

1 प्रस्तावना

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD / 2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत धामी विकास खण्ड मशोबरा जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :—

प्रधान

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमति कला पंत	1.4.13 से 22.1.16
2	श्री जगदीप सिंह	23.1.16 से लगातार

सचिव

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री कामराज	1.4.13 से 30.4.13
2	श्री प्रमोद शर्मा	1.5.13 से 16.11.14
3	श्री कमल राकेश वर्मा	17.11.14से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :— ग्राम पंचायत धामी के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {लाखों में}
1	5 (ख)	रोकड़ वही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर	0.44
2	9	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.10
3	10	13वें वितायोग से प्राप्त अनुदान का उपयोग न करना	2.58
4	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टाक स्टोर का क्रय करना	2.70
5	14.3	मस्ट्रौल पर रखे गये मजदूरों को उनके द्वारा किये गये कार्य (कार्य प्रगति) से अधिक भुगतान करना	1.25
6	14.4	ठेकेदार से संवैधानिक कटौतियॉ न करना	0.43

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत धामी, विकास खण्ड मशोबरा के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, श्री राम सिहं चौहान, अनुभाग अधिकारी और मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 28.6.2016, 29.6.16 व 1.7.2016 को ग्राम पंचायत, धामी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 4/13, 12/14, 3/16 तथा माह 3/14, 12/14, 5/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नही होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत धामी, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹6000 को रेखांकित बैंक ड्राफट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0 1 दिनांक 1.7.16 द्वारा सचिव, पंचायत धामी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत धामी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :–

(क) स्व स्त्रोत :– ग्राम पंचायत धामी के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक की स्व स्त्रोतों **(खाता "क")** की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिश्ट–1** पर भी संलग्न है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	–––	82486	82486	30345	52141
2014–15	52141	113730	165871	57755	108116
2015–16	108116	205261	313377	45488	267889

(ख) अनुदानः— ग्राम पंचायत धामी के अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति **(खाता ''ख'')** का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट—1** पर भी संलग्न है

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	1099890.99	2971429.00	**4071319.99**	2991936.00	**1079383.99**
2014—15	1079383.99	2099216.10	**3178600.09**	1931835.10	**1246764.99**
2015—16	1246764.99	3360629.00	**4607393.99**	3102953.40	**1504440.59**

नोट :— उक्त अथशेष की राशि में स्व स्त्रोत की अथशेष की राशि भी शामिल है ।

अनुदानों का विस्तृत विवरणः—

विविध अनुदान	वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
	2013—14	1089989.89	946668.00	2036657.89	1060886.00	**975771.89**
	2014—15	975771.89	1350276.10	**2326047.99**	1083828.00	**1242219.99**
	2015—16	1242219.99	1940653.00	**3182872.99**	1682977.40	**1499895.59**

मनरेगा	वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
	2013—14	9901.10	2024761	**2034662.10**	1931050	**103612.10**
	2014—15	103612.10	748940	**852552.10**	848007.10	**4545.00**
	2015—16	4545.00	1419976	**1424521.00**	1419976.00	**4545.00**

5 रोकड वही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैक समाधान विवरणी तैयार न करना

(क) ग्राम पंचायत धामी की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड वही व बैंक खातों का मिलान नही किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्व होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत, धामी द्वारा हि0 प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जा रही है, जिसके कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2016 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹ 44508 का अन्तर था ।

क्रम सं0	खाता	अन्तशेष
	रोकड वही की वित्तीय स्थिति के अनुसार	
1	रोकड वही के अनुसार खाता ''क''–पैरा 4(1)	**267889.00**
2	रोकड वही के अनुसार खाता ''ख''–पैरा 4(2)	**1504440.59**
	कुल योग	**1772329.59**
	बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेष (परिशिष्ट –2) :–	**1727821.59**
	रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर (क–ख)	**44508.00**

अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) पंचायत की रोकड बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमों के विपरित हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए ।

रसीद सं0	प्राप्ति की तिथि	रोकड वही में अंकित करने की तिथि	राशि	रोकड. वही की पृष्ठ सं0
560 से 600	9.4.13	2.9.13	2050	189

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना

(क) रोकड वही का निर्माण नियमानुसार न करना

ग्राम पंचायत धामी की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) की रोकड़ बही के निर्माण में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा पंचायत स्व स्त्रोत और समस्त प्रकार के अनुदानों हेतु दो रोकड़ बहियों का निमार्ण किया गया है जो कि नियम के विरूद्व है। अतः नियमों के विरूद्व दो रोकड बहियों का निर्माण करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए ।

(ख) लैजर खातों का निर्माण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फार्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था, परन्तु ग्राम पंचायत धामी में इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। प्रत्येक योजना के लिए अलग लैजर बनाए जाने से किसी भी समय योजना विशेष की वित्तीय स्थिति तथा उस योजना में अन्तशेष की जानकारी उपलब्ध हो सकती है, परन्तु लैजरों का निर्माण न करने से इस नियम की अवहेलना है। अतः नियमों के विरूद्व अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 निवेश

सचिव ग्राम पंचायत धामी, द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार स्व स्त्रोतों में से ₹50000 सावधि जमा में हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक, शिमला में निवेश की थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

सावधि जमा निवेश सं0	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	ब्याज की दर	अवधि	परिपक्वता की तिथि	परिपक्वता राशि
4380311909	9.8.05	50000	6.5 %	164माह 21दिन	30.4.19	50000

बैंक द्वारा उक्त सावधि जमा पर ब्याज की ₹44606 की गणना की थी जिसे बैंक द्वारा त्रैमासिक आधार पर खाता सं0 19026 में जमा किया जा रहा है। उक्त सावधि जमा की राशि की प्रविष्टि रोकड़ वही में नहीं की गई थी जोकि उचित नहीं है। अतः उक्त सावधि जमा राशि की प्रविष्टि रोकड वही में करनी सुनिश्चित की जाए तथा की गई कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत की आय व व्यय का प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित निमय के अनुसार तैयार न करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर इसे पारित करवाया जा रहा है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व की ₹10,000 का वसूली हेतु शेष पाया जाना

सचिव, ग्राम पंचायत, धामी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–3)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व में **₹10000** वसूली शेष थी।

मोबाईल टावर :

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	——	10000	10000	10000	———
2014–15	———	10000	10000	2500	7500
2015–16	7500	10000	17500	7500	**10000**

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित की जाए।

10 13वें वितायोग से प्राप्त अनुदान ₹ 2.58 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा 13वें वितायोग से प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट–4}** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान की **₹**258822 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पडा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि की बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 2.70 लाख के स्टाक स्टोर का क्रय करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत स्टाक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–5** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹270390 के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टाक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **29 से 31** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	––	103
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
3	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
4	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
5	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1)(डी)

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 विविध अनियमितताए

14.1:– ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पदान करने हेतु हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है ।

14.2:–वांछित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

चयनित माह में मनरेगा के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित निम्न अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उक्त अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में दिखाना सुनिश्चित किया जाए :–

वाउचर/बिल सं0	माह	राशि	कार्य का नाम	विवरण
179	3/13	6076	टैंक का निर्माण	₹ 6076 का भुगतान श्री शंकर लाल, मिस्त्री को किया गया था, में से केवल ₹3038 का मस्ट्रौल अंकेक्षण को दिखाया गया तथा शेष ₹3038 की राशि का मस्ट्रौल अंकेक्षण को नहीं दिखाया गया।
5897	12/14	5899	श्री कांशी राम के टैंक के निर्माण हेतु।	₹5899 की राशि के बिल/वाउचर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए।

14.3:—मस्ट्रौल पर रखे गये मजदूरों को उनके द्वारा किये गये कार्य (कार्य प्रगति) से ₹1.25 लाख का अधिक भुगतान करना

नियमानुसार मस्ट्रौल पर रखे गये मजदूरों को जो भुगतान किया जाता है उसके मूल्य के बराबर उनके द्वारा कार्य किया जाना अपेक्षित है, अन्यथा उनको किये गये कार्य मूल्य बराबर ही भुगतान किया जा सकता है। अंकेक्षण अवधि के चयनित माह में विभिन्न मस्ट्रौलों पर रखे गये मजदूरों को किये गये भुगतान तथा भुगतान की एवज में उनके द्वारा किये गये कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि मजदूरों को किये गये भुगतान को उचित ठहराने हेतु उनके द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन हि0प्र0 वर्ष 1999 की मानक दरों पर लेबर प्रीमियम के अनुसार बढ़ौतरी करके आंका गया व भुगतान को उचित ठहराया गया है, परन्तु इस कार्य के मूल्यांकन से नियमानुसार वांछित 10 प्रतिशत लाभ तथा 5 प्रतिशत ओबरहैड चार्जिज की कटौती नहीं की गई है। परिणाम स्वरूप अंकेक्षण अवधि के चयनित माह में मस्ट्रौल पर नियुक्त मजदूरों द्वारा किया गया कार्य उनके किये गये भुगतान से ₹125236 का कम हो गया जिसका विवरण **परिशिष्ट–6** पर दिया गया है। अतः नियमानुसार कटौती न करके कार्यप्रगति के साथ भुगतान को उचित न ठहराने का कारण स्पष्ट किए जाये तथा किये गये भुगतानों को उचित ठहराया जाये, अन्यथा अधिक किये गये भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये व भविष्य में नियमों की अनुपालना कर भुगतान का किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14.4:— ठेकेदारों से ₹0.43 लाख की संवैधानिक कटौतियॉ न करना

निर्माण कार्य के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार प्रतिभुति राशि, आयकर, बिक्री कर तथा लेबर सैस की अपेक्षित संवैधानिक कटौती जोकि निम्न विवरणानुसार **₹43380** बनती है, ठेकेदारों से नहीं की थी :—

Sr. No	Bill /Vr. No	month	Name of Item	Name of firm	Amount
1	514	3/14	Construction of road	Sh. Ajay pant, Dhami Distt. Shimla(H.P.)	145000
2	3	5/15	Construction of road	Sh. Ajay pant, Dhami Distt. Shimla(H.P.)	94500
3	7	5/15	Construction of road	Sh. Ajay pant, Dhami Distt. Shimla(H.P.)	50000
				Total	289500
				प्रतिभुति राशि 10 %	28950
				विक्री कर 2 %	5790
				आयकर 2 %	5790
				लेबर सैस 1 %	2895
				कटौतियों की कुल राशि	**43380**

अतः ठेकेदार के भुगतान बिल से संवैधानिक कटौतियौं न करने के कारण सरकारी राजस्व को हानि हुई, जिसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए तथा अधिक भुगतान को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये और भविष्य में निर्माण कार्यों के भुगतान के समय सभी संवैधानिक कटौतियां करना सुनिश्चित की जाए।

14.5:– क्रय की गयी निर्माण सामग्री से नियमानुसार (voids) की कटौती न करने के कारण ₹ 0.08 लाख का अधिक भुगतान करना

अभिलेख की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जो सामग्री क्रय की गयी, उस पर 10एम0एम0 से लेकर 40 एम0एम0 की बजरी पर 3 प्रतिशत की दर पर voids की कटौती के परान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित था, परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना जोकि **परिशिष्ट–7** पर संलग्न है, के अनुसार बजरी पर 3 प्रतिशत की दर पर voids की कटौती नहीं की गई थी, जिसके कारण आपूर्तिकर्ता को ₹8804 का अधिक भुगतान किया गया है । अतः किये गये अधिक भुगतान को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

14.6:– स्टील की खपत अधिक दर्शाकर ₹6530 का अधिक भुगतान करना

पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु स्टील की आपूर्ति की गई थी परन्तु स्टील की खपत को वास्तविक खपत से अधिक का दर्शाकर ₹6530 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिसका विवरण **परिशिष्ट–8** पर संलग्न हैं। अतः वास्तविक खपत से अधिक स्टील की

खपत करने बारे संस्था स्तर पर पूर्ण छानबीन करके इसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये ।

14.7:— निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री की खपत का अभिलेख न रखना

पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे सीमेंट, सरिया, रेत बजरी इत्यादि की आपूर्ति हेतु लाखों रूपये की राशि व्यय की जा रही है। क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की जा रही है तथा सामग्री की वास्तविक खपत से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया जा रहा है, जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सका की किस कार्य हेतु कितनी सामग्री की खपत हुई है तथा किसी तिथि विशेष को कितनी मात्रा शेष थी। इस प्रकार अभिलेख को उचित प्रकार से तैयार न करने के कारण स्टॉक में दु:र्विनियोजन से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः क्रय की जा रही सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए तथा उसकी वास्तविक खपत व अन्त शेष का भी अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

15 **लघु आपति विवरणिका :—** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

16 **निष्कर्ष :—** लेखों के रख रखाव में नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा इसमें अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 7/2016—खण्ड—1—4502—4505 दिनाँक 23.08.2016 शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत हलोग (धामी), विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/—

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट—5

1. स्व—स्त्रोत व विविध अनुदान

Sr. No	Bill/Vr No	month	Name of Item	Name of firm	Amount
1	1268	3/14	Angle etc.	Snajay Traders Dhami Distt.Shimla (H.P.)	11960
2	6092	12/14	Steel etc.	Snajay Traders Dhami Distt.Shimla (H.P.)	29711
3	6093	12/14	Steel etc.	Snajay Traders Dhami Distt.Shimla (H.P.)	29711
4	11	5/15	Cup & Plate etc.	Saran Dass Sood & Sons Dhami Distt.Shimla (H.P.)	3304
5	15	5/15	Footmate	Pant Fabrications works Dhami Distt. Shimla (H.P.)	1876
6	21	5/15	Almirah 1 No. etc.	Snajay Traders Dhami Distt.Shimla (H.P.)	6356
7	4	5/15	Sand 270 cft	Ajay Pant Dhami Distt. Shimla (H.P.)	11880
8	5	5/15	Stone 600 cft	Ajay Pant Dhami Distt. Shimla (H.P.)	13200
9	6	5/15	Grit 250 cft	Ajay Pant Dhami Distt. Shimla (H.P.)	11250
2.	मनरेगाः				
10	490	2/14	Sand 2 Trolly	Ajay Pant Dhami Distt. Shimla (H.P.)	10171
11	509	-	Sand	Ajay Pant Dhami Distt. Shimla (H.P.)	11736
12	1282	--	Steel etc.	Snajay Traders Dhami Distt.Shimla (H.P.)	10436
13	511	--	Sand & Grit	Ajay Pant Dhami Distt. Shimla (H.P.)	17115
14	1281	18-3-14	Steel etc.	Snajay Traders Dhami	7018

				Distt.Shimla (H.P.)	
15	116	16-11-14	Sand 150 cft	Mohinder Kumar Sharma Dhami Distt. Shimla (H.P.)	5334
16	188	2-1214	Sand 150 cft	Devinder Kumar Dhami Distt.Shimla (H.P.)	5334
17	141	12-2-14	Sand 150 cft	Satish chander Dhami Distt.Shimla (H.P.)	4782
18	140	14-8-14	Sand 370 cft	Satish chander Dhami Distt.Shimla (H.P.)	14800
19	509	10-4-14	Sand 150 cft	Ajay Pant Dhami Distt. Shimla (H.P.)	4782
20	2516	25-6-14	Steel etc.	Snajay Traders Dhami Distt.Shimla (H.P.)	4700
21	152	22-6-14	Sand 367 cft	Satya Sharma Jabri Distt. Shimla (H.P.)	14612
22	900	12/14	Steel 114kg	Sharma Hardware Dhami Distt. Shimla (H.P.)	5358
23	926	12/14	Steel 369 kg	Mohinder Kumar Sharma Dhami Distt. Shimla (H.P.)	14797
24	899	12/14	Steel 114kg	Sharma Hardware Dhami Distt. Shimla (H.P.)	5367
25	927	12/14	Sand 370 cft	Mohinder Kumar Sharma Dhami Distt. Shimla (H.P.)	14800
				Total	**270390**